राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2351/2024

राकेश कुमार गौड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डीईओ, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), दौसा।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बांध की ढाणी, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2024
आदेश की दिनांक : 22.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ा में कार्यरत था। अपीलार्थी का गांव के साथ विवाद होने से उसे जान एवं माल का खतरा हो गया था। इस कारण से अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बंध की ढाणी में कार्यव्यवस्थार्थ नियुक्त किया गया था। आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को पुनः अपने मूल पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ा के लिए कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पालड़ा में पदस्थापित होने से उसे पुनः जान एवं माल का खतरा पैदा हो जाएगा। अतः आलोच्य आदेश निरस्त किया जाए।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ा में कार्यरत

था। अपीलार्थी को उसके जान–माल का खतरा होने के दृष्टिगत कार्यव्यवस्थार्थ अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को पुनः उसके मूल स्थान पर कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया गया है। इसके पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बसवा ने जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा को अपीलार्थी के संबंध में पत्र दिनांक 12.07.2024 प्रेषित कर यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को पालड़ा में जान–माल का खतरा होने के कारण उन्हें अन्यत्र लगाया जाए।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)